फाइल सं.-38/37/08-पीएंडपीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

--

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110 003.
दिनांक: 12 फरवरी, 2009.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेंशन में संशोधन होने पर बकाया धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पेंशन की बकाया धनराशि का 40 प्रतिशत (अगस्त, 2008 तक) का भुगतान वर्ष 2008-09 में तथा 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान वर्ष 2009-10 में किया जाना था ।

2. इस विभाग में काफी संख्या में अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें सुझाव दिए गए हैं कि दिनांक 1.1.2006 से 31.8.2008 तक की अवधि की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की शेष धनराशि के 60 प्रतिशत का भुगतान भी उन वृद्ध पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को कर दिया जाए जो 80 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु को प्राप्त कर चुके हैं तथा हाल ही में दिवंगत पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों, के परिवार के सदस्यों को भी प्रदान की जाए ।

3. इन अभ्यावेदनों/पत्रों की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है । यह निर्णय किया गया है कि पहले ही जारी किए जा चुके अनुदेशों में कोई भी परिवर्तन अपेक्षित नहीं है और दिनांक 31.8.2008 तक सेवानिवृत्त/दिवंगत सभी

पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिनांक 1.1.2006 से 31.8.2008 तक की अवधि के लिए 60 प्रतिशत का भुगतान केवल वर्ष 2009-10 में ही किया जाएगा ।

4. उपर्युक्त मदों पर इस विभाग में प्राप्त सभी पत्रों/अभ्यावेदनों का तद्नुसार, निपटान किया जाता है ।

(एम.पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
दूरभाष: 24624302.

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सभी पेंशनभोगी एसोसिएशनें ।

प्रतिलिपि:

उपर्युक्त का.ज्ञा. को सभी पेंशनभोगियों/याचिकादाताओं के सूचनार्थ वेबसाइट पर डालने हेतु एन.आई.सी. को प्रेषित ।

कृपया देखें: http://pensionersportal.gov.in